<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.-116/16</u> <u>संस्थापित दिनांक-30.04.2016</u> Filling no-235103000682016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1— सुल्तान सिंह पुत्र शिवराज सिंह उम्र 55 साल निवासी — ग्राम सिंगपुर पांडरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 14.07.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 324, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 14.03.2016 को शाम करीब 7 बजे ग्राम सिंगपुर पांडरी आम रास्ता थाना चंदेरी में फरियादी रामसिंह को मां—बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी रामसिंह के साथ हिसया जो कि एक धारदार हथियार है, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी रामसिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी/आहत एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक 14.07.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी सुल्तान को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी/आहत रामसिह ने अपने लड़के गोपाल के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि शाम 7 बजे की बात है वह अपने घर के बाहर बैटा था कि पुरानी रंजिश को लेकर सुल्तान सिह यादव उसे मां बहन की गंदी—गंदी गाली देकर बोला तेरा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है, फरियादी ने सुल्तान को गाली देने से मना किया तो हाथ में लिये हिसया से सुल्तान ने उसे मारा जो दांहिने हाथ की झिंगली व बीच की अंगुली में लगा कटकर खून निकलने लगा मौके पर मौके पर राजेन्द्र यादव व ब्रजभान थे जिन्होंने उसे बचाया व घटना देखी है। आरोपी जाते समय बोल रहा था कि अगर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दुंगा। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का

नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.03.2016 को शाम करीब 7 बजे ग्राम सिंगपुर पाडरी आम रास्ता थाना चंदेरी में फरियादी रामसिह के साथ हिसया जो कि एक धारदार हथियार है, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी रामिसह अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 1 साल पहले की होकर शाम 6—7 बजे की है। घटना दिनांक को वह उसके घर के बाहर बैठा था तो सुल्तान सिह पुरानी रंजिश पर से उसके साथ गाली गलौच करने लगा। उसने सुल्तान को गाली देने से मना किया तथा धक्का मुक्की में नीचे पत्थर पर गिर जाने से उसके दांहिने हाथ की झिंगली व बीच की अंगुली में चोट आ गई थी। साक्षी ने बताया कि घटना स्थल पर उसके और आरोपी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी ने बताया कि इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटो का इलाज कराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि सुल्तान ने उसके दांहिनी हाथ की झिंगली व बीच की अंगुली में हिसये से मारा था, कटकर खून निकलने लगा था। इस बात से इंकार किया कि घाटना स्थल पर राजेन्द्र यादव, ब्रजभान यादव थे जिन्होंने बचाया था और घटना देखी थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 और पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट और कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात

को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

08— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी / आहत रामसिह अ०सा०1 द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में नीचे पत्थर पर गिरने से उसके दांहिनी हाथ की झिंगली व बीच की अंगूली में चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। इस प्रकार घटना में आहत एवं फरियादी रामसिह द्वार अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। इसके विपरीत रामसिह अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनो में पत्थर पर गिर जाने से स्वयं को चोट आना व्यक्त किया है तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को सही बताया है कि आरोपी सुल्तान द्वारा उसे हिसये से नहीं मारा गया था। इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विषलेशण के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 14.03.2016 को शाम करीब 7 बजे ग्राम सिंगपुर पांडरी आम रास्ता थाना चंदेरी में फरियादी रामसिह के साथ हिसया जो कि एक धारदार हथियार है, से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की । अतः आरोपी सुल्तान के विरूद्ध धारा 324 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 09— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 10- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 11- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

- 10- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 11- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।